

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी की उनके नाम के सम्बन्ध अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय कार्यस्त स्थान(राजमावि / राधारामावि)	अवधि	राजमावि / राधारामावि जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है।
1	अंजू जोशी, व्या. हिन्दी, माणक चौक, जयपुर	मार्च-2017	राजमावि माणक चौक, जयपुर से व्याख्याता हिन्दी के रिक्त पद विरुद्ध।

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपरोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

मेरी
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर
दिनांक : 19/04/17

क्रमांक—शिविरा/मा/संस्था/सी-4/वेतनव्यवस्था/2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक) जयपुर
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II) जयपुर
3. प्रधानाधार्य, राजमावि माणक चौक, जयपुर
4. अंजू जोशी, व्या. हिन्दी, माणक चौक, जयपुर
5. सिस्टम एनालिस्ट
6. रक्षित पत्रावली

मेरी
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर